नियम (26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी [illegible] मुकाम [illegible]

[illegible] बनाम [illegible] सन् ....

मुकदमा [illegible] नं. 15/[illegible]/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
15/[illegible]	वादी की ओर से पत्रावली श्री [illegible] प्र. ने पेश किया। रिपोर्ट शिरिश्ता पेश की गई। दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दि — को पेश हो। पुनश्च: प्रतिवादी सं. 1 की ओर से [illegible] ने वकालतनामा मय एकवाली जवाबदावा प्रस्तुत किया, प्रति. सं. 2 ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होना बताया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अभिभाषक उभयपक्षान द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई। मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों [illegible] नकल जमाबंदी, [illegible] का जवाबदावा एवं राजीनामे [illegible] अवलोकन करने पर उक्त रिकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाता	जवाबदावा [illegible] [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

बउनवान .... बनाम ....

धारा .... मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर हुक
जगदीश [signature] [signature]	उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विरूद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय से निर्णय [illegible] जारी (आज्ञप्ति) किया जाय। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या :151 / 1 / 2021

तारीख दायरा 15.11.2021

उनवान

जगदीश पुत्र सुखदेव जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
– वादी

बनाम

1. द्वारकीलाल पुत्र सुखदेव जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 22.06.2022

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी)

श्री लोकेश पोटर (वकील प्रतिवादी)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम चतरपुरा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं0 नई 29 के खसरा नं0 75 की 1.93 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 1.93 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 39 के खसरा नं0 732 की 0.64 हैक्टर, खसरा नं0 733 की 1.05 हैक्टर, खसरा नं0 736 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं0 737 की 0.34 हैक्टर कुल 4 किता की कुल 2.08 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 17 के खसरा नं0 109 की 0.39 हैक्टर, खसरा नं0 110 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 111 की 1.20 हैक्टर, खसरा नं0 17 की 0.. हैक्टर, खसरा नं0 32 की 0.44 हैक्टर कुल किता 5 की कुल 2.04 हैक्टर आराजी स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादी नं0 1 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:46:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वादी व प्रतिवादी नं0 1 ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात का मौके पर आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा कर रखा है और अपने–अपने हिस्से में आयी आराजी को मौके पर आपसी सहमति से काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं जो कि निम्न प्रकार है :–

अ. हिस्सा वादी जगदीश पुत्र सुखदेव ::–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
चतरपुरा	नई 29	75	1.93 सम्पूर्ण
	कुल 1 किता की कुल 1.93 हैक्टर आराजी		
डोबडी	17	32	0.44 हैक्टर सम्पूर्ण
		109	0.06 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से 0.58 हैक्टर पश्चिम
	कुल 3 किता की कुल 1.08 हैक्टर आराजी		

ब. प्रतिवादी नं0 1 द्वारकीलाल पुत्र सुखदेव के हिस्से की आरजी :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
डोबडा	39	732	0.64 हैक्टर सम्पूर्ण
		733	1.05 हैक्टर सम्पूर्ण
		736	0.05 हैक्टर सम्पूर्ण
		737	0.34 हैक्टर सम्पूर्ण
	कुल 4 किता की कुल 2.08 हैक्टर आराजी		
डोबडी	17	17	0.33 हैक्टर सम्पूर्ण
		110	0.01 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से 0.62 हैक्टर पूर्वी
	कुल 3 किता की कुल 0.96 हैक्टर आराजी		

वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित अनुसार ... प्रतिवादी नं0 1 अपने हिस्से में आयी आराजीयात को मौके पर शांति पूर्वक ... उपभोग करते चले आ रहे हैं और उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से की आराजी का विक्रय ... करवाना चाहते हैं लेकिन वादी व प्रतिवादी नं0 1 का शामलाती खाता होने से वादी को अ... हिस्से में आयी मौके पर कब्जे काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

की आराजी का विकास कार्य करवाने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है, जिसके बाबत वादी द्वारा प्रतिवादी नं0 1 से कई बार निवेदन करने के बावजूद भी प्रतिवादी नं0 तैयार नहीं हो रहा है और टालमटूल कर रहा है। ऐसी स्थिति में वादी के लिए माननीय न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के हक में व प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि :-

माल ग्राम चतरपुरा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं0 नई 29 के खसरा नं0 75 की 1.93 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 1.93 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 39 के खसरा नं 732 की 0.64 हैक्टर, खसरा नं0 733 की 1.05 हैक्टर, खसरा नं0 736 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं0 737 की 0.34 हैक्टर, कुल 4 किता की कुल 2.08 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 17 के खसरा नं0 109 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 110 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 111 की 1.20 हैक्टर, खसरा नं0 17 की 0.33 हैक्टर, खसरा नं0 32 की 0.44 हैक्टर, कुल किता 5 की कुल 2.04 हैक्टर आराजी का मौके पर हुए पारिवारिक विभाजन व कब्जे काश्त अनुसार यानि वाद पत्र की मद नं0 3 में वर्णित अनुसार आराजी का विभाजन किया जाकर विभाजन की डिक्री पारित फरमायी जावे तथा उक्त विभाजन अनुसार राज लगान पृथक-पृथक अंकन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इस आशय की वादी के हक में व प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध विभाजन की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। इसके पश्चात प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री लोकेश पोटर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होना बताया। तदुपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं.1 द्वारा स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा सरे इजलास पढकर सुनाया गया, किसी के द्वारा कोई भी आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता द्वारा तथा प्रतिवादी सं.1 की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनाम तस्दीक किया जाने के उपरान्त अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबंदी, इकबाली जवाब दावा एवं राजीनामे इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का दावा स्वीकार किया जाकर दिनांक 15.11.2021 को प्रकरण में आदेश पारित किए गए। इसके बाद वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

कुछ भूमि परवहन वृहद सिंचाई परियोजना में चली जाने से प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में परिवर्तन हो चुका है जिस कारण निर्णय की इजराय की पालना नहीं हो पा रही है। साथ ही पक्षकारान द्वारा परिवर्तित रकबे के साथ नया राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा तस्दीक किया गया तथा विवादित आराजी के परिवर्तित ख.न. एवं राजीनामे के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम चतरपुरा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं0 नई 29 के खसरा नं0 75 की 1.93 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 1.93 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 39 के खसरा नं 732 की 0.64 हैक्टर, खसरा नं0 733 की 1.05 हैक्टर, खसरा नं0 736 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं0 737 की 0.34 हैक्टर, कुल 4 किता की कुल 2.08 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 17 के खसरा नं0 109 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 110 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 111 की 1.20 हैक्टर, खसरा नं0 17 की 0.33 हैक्टर, खसरा नं0 32 की 0.44 हैक्टर, कुल किता 5 की कुल 2.04 हैक्टर आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है–

अ. हिस्सा वादी जगदीश पुत्र सुखदेव ::–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
चतरपुरा	नई 29	75	1.93 सम्पूर्ण
	कुल 1 किता की कुल 1.93 हैक्टर आराजी		
डोबडी	17	32	0.44 हैक्टर सम्पूर्ण
		109	0.06 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से 0.58 हैक्टर पश्चिम
	कुल 3 किता की कुल 1.08 हैक्टर आराजी		

ब. प्रतिवादी नं0 1 द्वारकीलाल पुत्र सुखदेव के हिस्से की आरजी :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
डोबडा	39	748 / 733	0.0900 हैक्टर
		749 / 733	0.4277 हैक्टर
		751	0.0035 हैक्टर
		752 / 73[illegible]	0.0238 हैक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

		754 / 737	0.0225 हैक्टर
		755 / 737	0.1600 हैक्टर
		757 / 732	0.6347 हैक्टर

कुल 7 किता की कुल 1.3622 हैक्टर आराजी

डोबडी	17	17	0.33 हैक्टर सम्पूर्ण
		110	0.01 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से 0.62 हैक्टर पूर्वी

कुल 3 किता की कुल 0.96 हैक्टर आराजी

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं.1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राज लगान का अंकन पृथक–पृथक किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

फद डिका मुकदमात इब्तदाइ

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 15.11.2021

प्रकरण संख्या :151 / 1 / 2021

उनवान

जगदीश पुत्र सुखदेव जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

1. द्वारकीलाल पुत्र सुखदेव जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

दिनांक :– 22.06.2022

श्री बहादुर सिंह (वकील वादी)

श्री लोकेश पोटर (वकील प्रतिवादी)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बहादुर सिंह मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

माल ग्राम चतरपुरा पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता सं0 नई 29 के खसरा नं0 75 की 1.93 हैक्टर कुल 1 किता की कुल 1.93 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 39 के खसरा नं 732 की 0.64 हैक्टर, खसरा नं0 733 की 1.05 हैक्टर, खसरा नं0 736 की 0.05 हैक्टर, खसरा नं0 737 की 0.34 हैक्टर, कुल 4 किता की कुल 2.08 हैक्टर एवं माल ग्राम डोबडी पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता सं0 नई 17 के खसरा नं0 109 की 0.06 हैक्टर, खसरा नं0 110 की 0.01 हैक्टर, खसरा नं0 111 की 1.20 हैक्टर, खसरा नं0 [illegible] की 0.33 हैक्टर, खसरा नं0 32 की 0.44

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

हैक्टर, कुल किता 5 की कुल 2.04 हैक्टर आराजी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है–

अ. हिस्सा वादी जगदीश पुत्र सुखदेव :–

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
चतरपुरा	नई 29	75	1.93 सम्पूर्ण
	कुल 1 किता की कुल 1.93 हैक्टर आराजी		
डोबडी	17	32	0.44 हैक्टर सम्पूर्ण
		109	0.06 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से 0.58 हैक्टर पश्चिम

कुल 3 किता की कुल 1.08 हैक्टर आराजी

ब. प्रतिवादी नं० 1 द्वारकीलाल पुत्र सुखदेव के हिस्से की आरजी :–

माल ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा हैक्टर
डोबडा	39	748 / 733	0.0900 हैक्टर
		749 / 733	0.4277 हैक्टर
		751 / 736	0.0035 हैक्टर
		752 / 736	0.0238 हैक्टर
		754 / 737	0.0225 हैक्टर
		755 / 737	0.1600 हैक्टर
		757 / 732	0.6347 हैक्टर

कुल 7 किता की कुल 1.3622 हैक्टर आराजी

डोबडी	17	17	0.33 हैक्टर सम्पूर्ण
		110	0.01 हैक्टर सम्पूर्ण
		111	1.20 हैक्टर में से 0.62 हैक्टर पूर्वी

कुल 3 किता की कुल 0.96 हैक्टर आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा